

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक- 2359 / रामपुर/25456/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 18, 2017

सेवा में

वन संरक्षक
मुरादाबाद वृत्त
मुरादाबाद।

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के पृष्ठ 29 पर संलग्न गणना के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.059068 हे 0 होता है, किन्तु प्रस्ताव 0.0591 हे 0 का प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी आपके कार्यालय को लिखा गया है।

अतः उक्तानुसार वास्तविक गणना के अनुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

पत्रांक- 2359 / , उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रभागिय निदेशक सा 0 वा 0 प्रभाग, रामपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- श्री अरुण ठाकुर, वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल्स प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0, बरेली।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

आपका पत्रांक-3158/14-1, दि 11.05.17

विषय: रामपुर-केमरी मार्ग (ODR-20) किमी 13 के चैनेज 13.352 की बायीं पटरी पर ग्राम-जानु नागर तहसील-मिलक के खसरा सं 750 पर इण्डियन ऑयल कार्पो लि 0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0591 हे 0 संरक्षित वनभूमि के गैर वनिकी प्रयोग की अनुमति।

भवदीय,

(वाई 0 एस 0 के 0 शेष कुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ 0 प्र 0, लखनऊ।

(वाई 0 एस 0 के 0 शेष कुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ 0 प्र 0, लखनऊ।